

पटवारी हल्का.....बनेडा.....तहसील-बनेडा, जिला-भीलवाड़ा  
जाति.....डा.सुधाकर शर्मा.....निवासी.....बनेडा  
(प्रार्थी) (अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
निर्णय

दिनांक.....10/12/19.....

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:-  
ग्राम.....बनेडा.....पटवार मण्डल.....बनेडा.....तहसील बनेडा की  
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर.....5239.....में से रकबा.....0.05.....बीघा पर  
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्बत्.....2076.....के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस.....  
.....बाई.....काश्त/अवैध कब्जा/.....कर लेने पर पटवारी  
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया  
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस.....बाई.....काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान.....0.20 X  
.....50.....का गुणा.....10.....रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी.....

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... तहसीलदार बनेड़ा ..... मुकाम बनेड़ा  
 किस्म मुकदमा ..... प्र. ६ बनेड़ा ..... वनाम ..... आसिफ खान .....  
 ..... धारा १) ..... प्र०स० ..... 60/19 ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशायल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसहुक्म की तामील में जारी हुए
७.१७.१९	<p>वकाय: दज रजिस्टर होकर न: ६          र. ५५६ की धारा १) व दज नोटिस          जारी हो पत्रावली दिनांक: १७.१२.१९          को पत्रावली</p> <p><b>तहसीलदार बनेड़ा</b>          भीलवाड़ा (राज.)</p>	
१०.१२.१९	<p>पत्रावली पेश हुई। अपाथी उपरि-थल          हुंठा निर्गम पृथक से लिखा जाकर          शाह मि. किया जाकर केंदल शुभार          होकर दर्ज रजि. नम्बर से काम हो।</p> <p><b>तहसीलदार बनेड़ा</b>          भीलवाड़ा (राज.)</p>	<p>आसिफ खान</p>